

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

**मध्यप्रदेश ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति (गठन, कारोबार,
संचालन तथा बैठक) नियम, 2010**

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 444 दिनांक 1 सितम्बर 2010 में प्रकाशित]

1. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) “समिति” से अभिप्रेत है नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन गठित ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

2. समिति का गठन.—(1) ग्राम सभा की एक तदर्थ समिति होगी जो ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के नाम से जानी जाएगी.

(2) तदर्थ समिति में न्यूनतम बारह एवं अधिकतम बीस सदस्य विषय के संबंध में हित रखने वाले होंगे जिनमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य रहेंगी.

(3) कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य रह सकेगा.

(4) समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा.

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला नामनिर्दिष्ट होगी.

(6) समिति में ग्राम की सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष तथा क्षेत्र का हैण्ड पम्प मेकेनिक/सहायक मेकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे.

(7) समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(8) महिला सदस्य समिति की सभापति होगी तथा समिति के खाते के लिए पृथक् कोषाध्यक्ष होगी. लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी. सभापति और कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा.

3. समिति का सचिव.—समिति के समस्त कृत्य, समिति के सचिव द्वारा सम्पादित किए जाएंगे. समिति का प्रबंध निम्नानुसार होगा:—

(एक) ग्राम पंचायत का सचिव, समिति का सचिव होगा, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अधीन आशा कार्यकर्ता, सहायक सचिव होगी जो समिति के सचिव को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करेगी और सचिव द्वारा उसकी अनुपस्थिति के दौरान उनको सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा/करेगी.

(दो) यदि ग्राम में एक से अधिक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं तो व्यक्ति जो आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता में से उच्चतर अर्हता रखते हों, सहायक सचिव होगा, समान-शैक्षणिक अर्हता होने की दशा में कम आयु कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा.

4. समिति का लेखा.—(1) समिति के लेखे, निम्नलिखित रीति में संधारित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले तीन योजनावार खाते संधारित किए जाएंगे, समिति का प्रथम खाता “जल स्वच्छता अभियान खाता” कहलाएगा, जिसमें जल तथा स्वच्छता की प्राप्ति या राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम से संबंधित निधियां जमा की जाएंगी. यह खाता, समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाएगा.

(ख) समिति का द्वितीय खाता “स्वास्थ्य निधि खाता” कहलाएगा, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित निधियां जमा की जाएंगी. यह खाता भी अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा आशा कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाएगा. ग्राम में एक से अधिक आशा कार्यकर्ता होने की दशा में ऐसी आशा कार्यकर्ता जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखती है, द्वारा खाता संचालित किया जाएगा या समान अर्हता की दशा में, उक्त खाते को संचालित करने हेतु कम आयु के कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा;

(ग) समिति का तृतीय खाता “पोषाहार खाता” कहलाएगा तथा यह खाता समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा, ग्राम में एक से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने की दशा में, ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखती हो खाता संचालित करेगी या समान शैक्षणिक अर्हता होने की दशा में, उनमें से कम आयु का व्यक्ति उक्त खाते के संयुक्त संचालन हेतु हकदार होगा.

(2) समिति, समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अधीन उसके द्वारा प्राप्त निधियां तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से भी प्राप्त निधियां पृथक् रूप में खाते में जमा करेगी और यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक खाते से रकम/निधि के संवितरण के पूर्व बैठक में, समिति का अनुमोदन/मंजूरी अभिप्राप्त करें.

5. **केश (रोकड़) रजिस्टर.**—समिति, योजनावार तीन केश रजिस्टर संधारित करेगी. प्रथम केश रजिस्टर, स्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन सम्पूर्ण संव्यवहार हेतु संधारित किया जाएगा. द्वितीय केश रजिस्टर स्वास्थ्य निधि हेतु तथा तृतीय महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यक्रम की निधियों के लिए संधारित किया जाएगा और योजनावार निधियों की प्रविष्टियां तथा योजना के लिए संवितरित निधियां, तारीख, रकम तथा उसकी समस्त आवश्यक प्रविष्टियां सचिव, ग्राम पंचायत, आशा कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी और अभिलेख दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे तथा एक प्रति ग्राम सभा के सचिव द्वारा रखी जाएगी.

6. **समिति की बैठक.**—(1) समिति की बैठक एक माह में एक बार अनिवार्य रूप से रखी जाएगी, तथापि जब और जहां अपेक्षित हो, कोई विशेष बैठक रखी जा सकेगी.

(2) बैठक की सूचना और कार्यसूची समिति के सचिव के हस्ताक्षर के अधीन जारी की जाएगी.

(3) बैठक की तारीख, समय, कार्यसूची तथा स्थान अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के परामर्श से सचिव द्वारा विनिश्चित की जाएगी.

(4) बैठक में समिति की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों के आधे से होगी, यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जा सकेगी तथा स्थगित बैठक पुनः करने के प्रयोजन हेतु गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी.

7. **कार्यवृत्त रजिस्टर.**—(1) समिति में कार्यवृत्त रजिस्टर होगा. समिति के सचिव द्वारा बैठक में लिए गए विनिश्चय, उक्त रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे. उक्त रजिस्टर पर ऐसे सदस्य हस्ताक्षर करेंगे जो बैठक में उपस्थित हों तथा उसके तत्पश्चात् अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे.

(2) कार्यवृत्त हिन्दी में अभिलिखित किए जाएंगे तथा सचिव द्वारा बैठक का कार्यवृत्त ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पंचायत, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र को भी परिचालित किए जाएंगे.

8. **समिति की अवधि.**—(1) समिति की अवधि ऐसी होगी जैसी कि ग्राम पंचायत की है. नई ग्राम पंचायत के गठन के पश्चात् ग्राम सभा, समिति के सदस्यों को पुर्ननामनिर्दिष्ट करेगी.

(2) यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात् समाप्त कर दी जाएगी. ग्राम पंचायत, अर्ह सदस्य के नामनिर्देशन के द्वारा रिक्ति भरेगी.

(3) जब समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम अभियान सभी पहलुओं से पूरे हो जाते हैं तो संबंधित तदर्थ समिति स्वतः ही भंग हो जाएगी.

9. **शक्तियों, कृत्य तथा समिति का उत्तरदायित्व.**—समिति को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का पुनर्विलोकन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा समन्वयन की भूमि का और उसे सौंपे गये दायित्वों जैसे समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम का निर्वहन करने हेतु सशक्त किया गया है. संबंधित योजना विभाग, योजना के कार्यान्वयन भूमिका तथा समिति के उत्तरदायित्वों के लिए पृथक् तथा संयुक्त रूप से प्रशासनिक निदेश जारी करेंगे.

10. **प्रशिक्षण.**—समिति से संबंधित समस्त सदस्यों को उनकी भूमिका, कृत्य तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा. ऐसे प्रशिक्षण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग एक संयुक्त प्रशिक्षण नियमावली बनाएंगे.

11. **संपरीक्षा तथा लेखा.**—योजनावार संपरीक्षा तथा आय और व्यय तथा वित्त से संबंधित अभिलेखों की संपरीक्षा संबंधित विभाग द्वारा उनके संपरीक्षा दल/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी.

12. **विविध.**—(1) ग्राम पंचायत सचिव, समिति के कार्य संचालन में सहयोग तथा मार्ग दर्शन करेगा.

(2) समिति, ग्राम पंचायत के सरपंच, ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) स्वयंसेवी समूह (एस.एच.जी.) अध्यक्षों/सदस्यों को विशेष आमंत्रिती के रूप में समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी.

(3) समिति द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) में कार्यरत तकनीकी कार्मिकों से तकनीकी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा और उनके सुझाव हिन्दी में अभिप्राप्त किए जाएंगे. सुझाव, यदि कोई हो, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को संबोधित किए जाएंगे.

(4) समस्त प्राक्कलन, समिति तथा किसी भी कार्यकारी अभिकरण को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे.

(5) समिति की बैठक में लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील, जनपद स्तर की ग्राम सभा अपील समिति को प्रस्तुत की जा सकेगी.

(6) समिति, प्रारंभिक अवस्था में ग्राम सभा की तदर्थ समिति के रूप में गठित की जा रही है किन्तु समिति, यथाशक्यशीघ्र, लोकहित में एक स्थायी समिति के रूप में गठित की जाएगी.

क्र. एफ-1-7-2009-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 7-क की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है.